State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं0: SHSB/SPM/131/.....2012
पत्रांक सं0:.....दि0:...../10/2012

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयः अनुमण्डल स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य ईकाईयों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकम के वित्तीय वर्ष 2012–13 के कार्य–योजना के कियान्वयन के लिए राशि के आवंटन के संदर्भ में।

प्रसंगः राज्य स्वास्थ्य समिति का प्रत्रांक संख्या 6161 दिनॉक 21/07/12 के आलोक में (छायाप्रति पुनः संलग्न)।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिलों को आवंटित राशि को संदर्भित करना चाहेंगे जिसमें जिलों, प्रमण्डल एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को राशि आवंटित की गई है। तत्पश्चात् इस पत्र के माध्यम से जिला स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सहभागी प्रकिया से आवंटित राशि को समेकित कर जिलों को प्रेषित किया जा रहा है **(अनुलग्नक–क)**। इसकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्वास्थ्य समिति के बेवपोर्टल www.statehealthsocietybihar.org के लिंक PHC wise allocation पर भी अपलोड किया गया है।

विगत वर्षों से (2010–11 एवं 11-12) में पहली बार प्रखण्ड स्तर तक राशि के आवंटन को समेकित कर जिलों को प्रेषित किया गया था जिसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं:-

वर्ष	निर्धारित बजट (करोड़)	प्राप्त राशि (करोड़) (NRHM+GoB)	व्यय (करोड़)
2006–07	571.42	491.40	92.14
2007–08	849.25	250.85	237.80
2008–09	978.61	816.39	339.75
2009–10	1254.70	549.17	562.53
2010–11	1273.88	982.21	880.46
2011-12	1345.15	629.67	1149.13

उपर्युक्त ऑकड़े यह परिलक्षित करते हैं कि वर्ष 2011–12 में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सर्वाधिक व्यय किया गया। परन्तु शत-प्रतिशत निर्धारित राशि का व्यय नहीं किया गया। इसके मुख्य कारणों में से कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नवत है:

(क) उन जिलों में व्यय कम हुआ है जहॉ प्रखण्डों को गतिविधि के अनुसार राशि आवंटित की गई है अर्थात् मूल कर्णाकित मद* में राशि का आवंटन नहीं किया गया है।

हंसता बच्चा आपकी इच्छा!

** मूल कर्णाकित राशि यथा RCH-II (part-A), NRHM additionalities (Part-B), R.I & P. Polio (Part-C) and Disease Control Programme (Part-D to I) तक है।*

बिहार सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

(ख) जिलों ने सभी प्रखण्डों से राशि के मॉग पत्र को समेकित करने के पश्चात् सभी ईकाईयों को राशि आवंटित की है। अर्थात् किसी एक ईकाई ने भी मूल कर्णांकित मद में 80% राशि के व्यय होने पर यदि राशि की मॉग की है तो उसे 24 घन्टे के अन्दर राशि उप आवंटित नहीं की गई है।

(ग) जिन जिलों ने प्रत्येक उपआवंटन की स्वीकृति जिला पदाधिकारी से प्राप्त कर संबंधित ईकाईयों को राशि आवंटन किया है। अर्थात् जिला पदाधिकारी से एक त्रैमासिक की राशि की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् भी प्रत्येक उपआवंटन हेतु जिला पदाधिकारी से स्वीकृति ली गई है।

(घ) जिन जिलों ने राशि को व्यय करने के पश्चात् निर्धारित एफ0एम0आर0 कोड में व्यय की गई राशि को प्रविष्टि नहीं की है।

उपर्युक्त सभी मुद्दों को प्रासंगिक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है जिसमें राशि के उपआवंटन की प्रकिया को उल्लेखित किया गया है। सभी स्वास्थ्य ईकाईयों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस पत्र में वर्णित सिद्धान्तों के अनुरूप ही राशि का प्रबन्धन सुनिश्चित करें। क्योंकि प्रत्येक स्तर पर यदि राशि का अभाव परिलक्षित होता है तो इसकी समीक्षा इसी पत्र के आलोक में किया जायेगा।

अतएव उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारीयों का निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक ध्यान आकृष्ट करवायें:

1. अनुलग्नित **(अनुलग्नक–क)** आवंटन का आधार जिलों द्वारा मॉगी गई राशि एवं जिलों को आवंटित राशि को समायोजित कर तैयार किया गया है।
2. किसी भी कर्णांकित राशि में यदि स्वास्थ्य ईकाई द्वारा 80% का व्यय हो जाता है तो उसी दिन इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को SHSB पत्र सं0– 6161 दिनांक 21.07.2012 के आलोक में दें, अन्यथा राशि के नहीं होने की पूर्ण जवाबदेही संबंधित उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की होगी।
3. एफ0एम0आर0 के माध्यम से महिने के अन्त में यह ज्ञात होता है कि उक्त माह में किस मद में कितनी राशि का व्यय हुआ। इसका उपयोग राशि की मॉग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात् यदि आपके मूलकर्णांकित मद में 15 तारीख को भी राशि 80% व्यय की जाती है तो इसे पत्र के माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ जिला स्वास्थ्य समिति से माँग करें।
4. सभी प्रखण्डों को टैली सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्युटर आवंटित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि Tally, CPSMS एवं HMIS में एक ही एफ0एम0आर0 कोड में व्यय को प्रतिवेदित किया जाये। प्रखण्ड लेखापाल की यह जवाबदेही होगी कि प्रखण्डों की व्यय विवरणी टैली पर भी लगातार अद्यतन करेंगें।
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं वी0एच0एस0सी0 को आवंटित राशि का व्यय ससमय प्रतिवेदित किया जाये तथा इसके एकाउन्ट के रख–रखाव की समीक्षा तथा सुधार अपने स्तर से त्रैमासिक करेंगे। इस कार्य में आन्तरिक आंकेक्षण दल सहायता करेगी।
6. किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य इकाईयों में राशि का अभाव मान्य नही होगा। यदि किसी भी स्वास्थ्य इकाई में राशि के अभाव के कारण किसी का भुगतान नही होता है तो इसकी जवाबदेही सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी की होगी, क्योंकि उन्होंने ससमय व्यय प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित नही किया। यदि व्यय प्रतिवेदन ससमय जिले को प्रेषित करने के पश्चात् भी सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को राशि आवंटित नही की गई है तो इसकी जवाबदेही सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबधंक की सयुंक्त रूप से होगी।
7. **साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला योजना समन्वयक व्यय प्रतिवेदन के आधार पर कम खर्च करने वाले स्वास्थ्य इकाईयों की राशि को काट कर वैसे इकाईयों को उपआवंटित करेंगें जहाँ राशि का व्यय अधिक हो रहा है। इस प्रकार स्वास्थ्य इकाई में व्यय की गति में वृद्धि होगी।** जिला स्वास्थ्य समिति की यह जबावदेही होगी कि प्रासांगिक पत्र (पत्र सं0– 6161 दिनांक 21.07.2012) में वर्णित सिद्धान्तों के आलोक में प्रत्येक माह प्रत्येक प्रखण्ड एवं अनुमण्डलीय अस्पतालों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी तथा इस आवंटन में आवंटित भौतिक लक्ष्यों की भी समीक्षा की जाये।

बिहार सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

अनुलग्निक आवंटन (अनुलग्नक–क) में बहुत से मदों में भौतिक लक्ष्य जिलों ने आवंटित यथोचित नहीं किये थे जिसे समीक्षोपरान्त जिले के स्तर पर ही संकलित किया गया है। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जिला योजना समन्वयक की यह जबाावदेही होगी कि इसका तार्किक आवंटन संबंधित स्वास्थ्य ईकाईयों को कर के राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र प्रेषण के 15 दिनों के अन्दर कर देंगे।

8. जिन संस्थानों को राशि आवंटित की जा रही है उन संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों तथा प्रबंधकों की यह जवाबदेही होगी कि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को ससमय पूरा किया जाए तथा इसे उनके वार्षिक अप्राइजल (Performance Appraisal) प्रतिवेदन में भी उल्लेखित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रभारी पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों के भी वार्षिक अप्राइजल (Performance Appraisal) प्रपत्र में इसे उल्लेखित करेंगें।

राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस वर्ष का वित्तीय लक्ष्य लगभग Rs. 2000 करोड़ निर्धारित किया है जिसका व्यय शत्–प्रतिशत करने की जवाबदेही हम सभी की है। इसके नियमानुकूल व्यय से हम राज्य में माँ एवं बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक बेहत्तर बनाने का प्रयास कर सकते हैं और स्वस्थ एवं समृद्ध बिहार विकसित करने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)

संलग्नः- राज्य स्वास्थ्य समिति का प्रत्रांक संख्या 6161 दिनॉक 21/07/12

ज्ञापांक सं.: 8439 पटना, दिनांकः 01/10/2012

प्रतिलिपिः

1. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी राज्य स्तर पदाधिकारी, रा0स्वा0समिति, बिहार को सूचनार्थ।
4. सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, रा0स्वा0समिति, बिहार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. Internal Finance Audit Team को सूचनार्थ।

Recd 9/10/2012

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

...क्योंकि
हंसमुख बच्चा
आपकी इच्छा!